10 अध्याय

बजट

इस अध्याय में आप सीखेंगे किः

- बजट का अर्थ एवं प्रकार।
- केन्द्रीय बजट के प्रमुख दस्तावेज।
- बजट का वर्गीकरण।
- बजट के प्रमुख घाटे।
- घाटे का वित्त पोषण, आवश्कता व वित्त पोषण के साधन।
- राजकोषीय प्रबंधन।
- प्रमुख कोष।

परिचय (Introduction)

बजट शब्द फ्रेंच भाषा के 'बूजट' (Bougette) से लिया गया हैं फ्रेंच में 'बूजट' शब्द का अर्थ है—'चमड़े का थैला'। सन् 1733 में ब्रिटेन के तत्कालिक वित्त मंत्री सर राबर्ट वालपोल ने संसद के समक्ष पेश करने के लिये। अपने वित्तीय प्रस्ताव चमड़े के एक थैले में से निकाले थे उसी समय से बजट शब्द का प्रयोग सरकार के वार्षिक आय-व्यय के विवरण के लिये किया जाने लगा।

बजट का अर्थ (Meaning of Budget)

सामान्य प्रचलित अर्थ में 'बजट' का अभिप्राय सरकार के वार्षिक आय-व्यय के उन लिखित दस्तावेजो से है जिसे कार्यपालिका एवं मंत्रिमंडल द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है जिसके आधार पर सरकार को वार्षिक एवं दीर्घकालिक आर्थिक नीतियाँ एवं कल्याणकारी योजनाओं को बनाने एवं क्रियान्वयन करने में सहायता प्राप्त होती है।

बजट सामान्यत: सरकारी विवरण या दस्तावेज के रूप में जाना जाता है जिसमें सरकार की गतवर्ष की आय-व्यय की स्थिति, आगामी वर्ष के आर्थीक सामाजिक कार्यक्रम एवं उन पर व्यय, प्रस्तावित कर ढांचा जिसमें आय को बढ़ाने एवं व्यय को घटाने से समबंधित प्रस्तावों का विवरण सम्मिलत होता है।

ध्यातव्य हो कि

भारतीय संविधन में 'बजट शब्द' का कही भी उल्लेख नहीं है परन्तु संविधन में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' शब्द का उल्लेख मिलता है जिसे सामान्यता बजट समझा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार—'सरकार प्रत्येक वर्ष आय-व्यय का एक लेखा-जोखा प्रस्तुत करेगी जिसमे यह उल्लेख होगा कि सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में किस मद पर कितना व्यय करेगी तथा इस व्यय को पूरा करने के लिये आय कहाँ से प्राप्त करेगी ?'

बजट के प्रमुख प्रकार (Types of Budget)

अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप के बदलते आयाम, उद्देश्य व परिस्थितियो आदि के फलस्वरूप बजट की प्रक्रिया और स्वरूप में समय-समय पर परिवर्तन किए जाते रहे है। मोटे तौर पर प्रचलन में आए बजट के विभिन्न स्वरूपो का विवरण निम्नवत् है—

बजट

- (i) परंपरागत अथवा आम बजट — 1. Traditional or Common Budget
- (ii) निष्पादन बजट — 2. Performance Budget
- (iii) शून्य आधारित बजट — 3. Zero-based Budget
- (iv) परिणाम बजट — 4. Outcome Budget
- (v) जेण्डर बजटिंग — 5. Gender Budgeting

परंपरागत अथवा आम बजट (Traditional Budget)

- पारम्परिक बजट आज के आम बजट का प्रारम्भिक रूप कहा जा सकता है।
- इस प्रकार के बजट का मुख्य उद्देश्य विधायिका का कार्यपालिका पर वित्तीय नियन्त्रण स्थापित करना रहा है।
- इस बजट में मुख्य रूप से विभिन्न मदो में किये जाने वाले व्ययो और विभिन्न मदो से प्राप्त होने वाली आय को प्रस्तुत किया जाता है।
- इसमे किस क्षेत्र में कितना धन व्यय करना है उसी का उल्लेख होता है किन्तु इस व्यय को करने से क्या-क्या परिणाम प्राप्त होंगे उनका ब्यौरा नहीं दिया जाता अर्थात् इस प्रकार के बजट का मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चो पर नियन्त्रण करना है न कि तीव्र गति से विकास तथा विकास कार्यो को अंजाम देना।

  अतः यह बजट स्वतन्त्र भारत की समस्याओ को सुलझाने तथा देश की महत्वाकांक्षाओ को पूरा करने में असमर्थ समझा गया। यही कारण है कि भारत में निष्पादन बजट की आवश्यकता तथा महत्ता को स्वीकार किया गया और पूरक बजट के रूप में निष्पादन बजट प्रस्तुत किया जाने लगा।

निष्पादन बजट (Performance Budget)

- निष्पादन बजट को उपलब्धि बजट या कार्यपूर्ति बजट भी कहा जाता है। अतः कार्य के 'परीणामो' या 'निष्पादनों' को आधार बनाकर निर्मित होने वाला बजट निष्पादन बजट कहलाता है।
- निष्पादन बजट के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग का मानना है कि निष्पादन बजट सरकारी कार्यो, कार्यक्रमों, क्रियाओ तथा परियोजनाओं को पेश करने की एक कार्यविधि है।
- निष्पादन बजट मूलतः लक्ष्योन्मुखी तथा उद्देश्यपरक प्रणाली पर आधारित है जिसमे केवल संगठनात्मक आय का हिसाब ही नही बल्कि प्राप्त हुए निष्कर्षो या कार्य निष्पादन को मूल्यांकन का आधार बनाया जाता है।
- निष्पादन बजट का श्रीगणेश संयुक्त राज्य अमरीका मे हुआ जहाँ प्रशासनिक सुधारो के लिए बने प्रथम हूपर आयोग (1949) ने सरकार को कार्यो, कार्यक्रमो तथा क्रियाओं पर आधारित बजट बनाने की अनुशंसा की। हूपर आयोग के अनुसार—'निष्पादन बजट' सरकार क्या कर रही है, कितना कर रही है, तथा कितनी कीमत पर कर रही है, इन सभी बातो को प्रतिबिम्बित करता है।
- हूपर आयोग की अनुशंसा के आधार पर संयुक्त राज्य अमरीका की संघीय सरकार ने 1951 में निष्पादन बजट बनाना शुरू किया। शनैः-शनैः निष्पादन बजट प्रणाली विश्व के अन्य देशो में भी लोकप्रिय होने लगी और वर्तमान मे यह प्रणाली भारतीय बजट व्यवस्था मे देखने को मिलती है।

शून्य आधारित बजट (Zero-based Budget)

- शून्य आधारित बजट को अपनाने के दो प्रमुख कारण हैं—

  (i) देश के बजट में निरन्तर बढ़ता हुआ घाटा।

  (ii) निष्पादन बजट प्रणाली के क्रियानवयन में जटिलता।
- इन दोनों स्थितियो ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि व्ययो पर कटौती कर बजट मे प्रचलित घाटो पर अंकुश लगाया जाये। अर्थात् शून्य आधारित बजट प्रणाली व्यय पर अंकुश लगाने की एक तार्किक प्रणाली है।
- इस बजट प्रणाली मे विगत वर्षो के व्ययों को भावी व्यय के लिये तर्क के रूप मे स्वीकार नही किया जाता। अर्थात् प्रश्न यह नही होता कि व्यय मे कितनी वृद्धि या कितनी कमी की जाए बल्कि प्रश्न यह है कि व्यय किया जाए या ना किया जाए।
- इस प्रणाली में प्रत्येक क्रियाकलाप का शून्य आधार से पुनः औचित्य निर्धारित किया जाता है न कि पुराने व्ययों पर नये व्ययो का प्रावधान किया जाता है।
- इस प्रणाली का उद्देश्य प्रत्येक क्रियाकलाप का परीक्षण ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार किसी नए प्रस्ताव का परीक्षण कर यह निर्णय लिया जाता है कि क्या यह गतिविधि आवश्यक है ?
- इस प्रणाली को सूर्यास्त बजट प्रणाली (सनसेट बजट सिस्टम) भी कहा जाता है जिसका अर्थ यह है कि वित्तीय वर्ष के सूर्यास्त से पूर्व प्रत्येक विभाग को एक शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करना होता है जिसमें उसके प्रत्येक क्रियाकलाप व उपलब्धियो का लेखा-जोखा रहता है।
- अमरीका के टेक्सास इन्सिट्यिूट के बजट निदेशक पीटर ए.पायर(1970) को जीरो बेस बजट का जनक माना जाता है। इस प्रणाली का सर्वप्रथम 1973 में अमरीका के जार्जिया प्रान्त के बजट में तत्कालीन गर्वनर जिमी कार्टर द्वारा अपनाया गया तथा बाद में 1979 में इसे अमरीका के राष्ट्रीय बजट में इसे अपनाया गया।
- भारत में जीरो बेस बजटिंग की प्रक्रिया की शुरूआत सरकारी क्षेत्र के एक प्रमुख शोध संगठन **द काउन्सिल ऑफ साइन्टिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च** द्वारा की गयी। वर्ष 1987-88 का बजट बनाते समय केन्द्र सरकार के सभी विभागों द्वारा जीरो बेस पद्धति पर बजट बनाने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया को अपनाकर कई विभागो और मंत्रालयों के व्यय में भारी कटौती हुई। केन्द्र सरकार के अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बढ़ते सरकारी खर्चो और अनुपयोगी होती जा रहे थे, अनेक स्कीमों और कार्यक्रमों पर होने वाले भारी-भरकम व्ययो को कम करने के उद्देश्य से इस प्रणाली को प्रयोग में लाना प्रारम्भ किया गया।

ध्यातव्य हो कि

वर्तमान में लगभग सभी राज्य सरकारो द्वारा पूर्णरूपेण न सही तो आंशिक रूप से शून्य आधारित बजट की व्यवस्था लागू की गयी है इसे यथासम्भव अधिक से अधिक विभागों और कार्यकलापों अथवा कार्यक्रमों में प्रभावी रूप से लागू किया जाने का प्रयास किया जा रहा है।

परिणाम बजट (Outcome Budget)

- केन्द्र सरकार द्वारा बजट की इस नयी पद्धति की शुरूआत वर्ष 2005-06 के बजट में की गयी और देश के संसदीय इतिहास में पहली बार 25 अगस्त 2005 को आउटकम बजट वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया।
- देश में आउटकम बजट लाने का उद्देश्य यह था कि—देश में हर साल बड़ी संख्या में विकास योजनाएँ बनती है और उन पर भारी धनराशि खर्च की जाती है। इन योजनाओं को अमली जामा किस हद तक पहनाया गया है इसके लिए कोई खास पैमाना निर्धारित नहीं है और जो पैमाना निर्धारित भी है उस पर खास ध्यान नही दिया जाता। योजनाओं के अंधर में लटके रहने से जो लागत बढ़ती है उससे होने वाले नुकसान कि जिम्मेदारी तय करने के लिए भी कोई तन्त्र उपलब्ध नही है। इस तरह की कई कमियो को दूर करने की कोशिश 'आउटकम बजट' से द्वारा की जाती है।
- आम बजट में आवंटित धनराशि का विभिन्न मंत्रालयो और विभागो ने क्या और कैसे उपयोग किया ? आउटकम बजट इसका रिपोर्ट कार्ड हैं यह मन्त्रालयों और विभागो के कार्य प्रदर्शन में एक 'मापक' का भी काम करता है। जिससे कार्यक्रमो के परिणामों को बेहतर बनाया जा सकता है
- इस प्रणाली के माध्यम से निर्धारित लक्ष्यो की आपूर्ति की सही-सही जानकारी मिल सकती है जैसे यदि यह जानना हो कि किसी स्कूल, भवन अथवा स्वास्थ्य केन्द्र के लिए आवंटित धन क्या वास्तव मे जारी कर दिया गया है तो आउट कम बजट से इसका पता लगाया जा सकता है। इससे यह भी पता चल सकता है कि निर्धारित धनराशि से निर्धारित समयावधि मे कितना धन खर्च किया जा चुका है और कितना काम हुआ है।
- सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित किए गए परिव्यय व परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा परिणामों की निगरानी के लिए उपयोगी होने के कारण भारत जैसे कई देशों में इसे अपनाया जा रहा है।

लैंगिक/जेण्डर बजटिंग (Gender Budgeting)

- देश में महिला अधिकारिता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बजट के योगदान को स्वीकार करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जेण्डर बजटिंग की शुरूआत वर्ष 2005 से की गयी।
- जेण्डर बजटिंग के माध्यम से सरकार द्वारा महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तीकरण से सम्बन्धित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष बजट में एक निर्धारित राशि की व्यवस्था करने का प्रावधान है।
- वर्तमान बजट में उन तमाम योजनाओं और कार्यक्रमों पर जिनका सम्बन्ध महिला और शिशु कल्याण से है, कितना धन आवंटित किया गया का उल्लेख ही जेण्डर बजटिंग कहलाता है।

केंद्रीय बजट के प्रमुख दस्तावेज (Major Documents of Union Budget)

समान्यता केंद्रीय बजट में निम्नांकित सात दस्तावेज शामिल होते है—

1. **वित्तमंत्री का भाषण**—यह दस्तावेज दो भागो में बटाँ होता है- पहले भाग में सामान्य आर्थिक परिदृश्य और दूसरे भाग में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव तथा सरकार की आर्थिक नीतियो का विवरण होता है।
2. **वार्षिक वित्तीय कथन**—इस दस्तावेज में अगामी वित्त वर्ष के लिए अनुमानित सरकारी आय और व्यय पर विस्तृत टिप्पणियाँ दी जाती है।
3. **बजट का सार**—इस दस्तावेज में पूरे बजट का सारंश संक्षिप्त आकड़ें और ग्राफों के रूप में दिया जाता है। विभिन्न राज्यों, केन्द्रशासित प्रदेशों से केन्द्र सरकार को प्राप्त होने वाली धनराशि तथा उन्हे दी जाने वाली धनराशि का विवरण भी बजट सार में दिया जाता है।
4. **वित्त विधेयक**—इस दस्तावेज में सरकार द्वारा प्रस्तावित कर प्रस्तावो का विवरण दिया जाता है।
5. **बजट प्राप्तियाँ**—इसमें अगामी वर्ष में सरकार को प्राप्त होने वाला अनुमानित राजस्व, पूँजी प्राप्तियाँ तथा घरेलू और विदेशी ऋण का विवरण दिया जाता है।
6. **बजट व्यय**—इस दस्तावेज में आगामी वर्ष में सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों पर योजनागत और गैर योजनागत मदो के अन्तर्गत व्यय की जाने वाली धनराशि का विवरण दिया जाता है।
7. **अनुदान की मांग**—इसमें विभिन्न मंत्रालयों की अपनी निजी मांगो के साथ-साथ समस्त अनुदानों की मांगो का सारांश दिया जाता है।

बजट का वर्गीकरण (Classification of Budget)

सार्वजनिक प्राप्तियां—किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में सरकार को प्राप्त होने वाली कुल आय '**सार्वजनिक प्राप्तियां**' कहलाती है। सरकार की सार्वजनिक प्राप्तियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है—1. राजस्व प्राप्तियां, 2. पूंजीगत प्राप्तियां

1. **राजस्व प्राप्तियां**—एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त ऐसी प्राप्तियां जिनके लौटाने का दायित्व सरकार पर नहीं होता जिसके साथ किसी सम्पत्ति की बिक्री नहीं जुड़ी होती **राजस्व प्राप्तियां** कहलाती है। यह प्राप्तियां सरकार की आय होती है। राजस्व प्राप्तियां दो प्रकार की होती है—

   (i) **कर राजस्व**—विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने वाले राजस्व को, **कर राजस्व** कहते हैं।

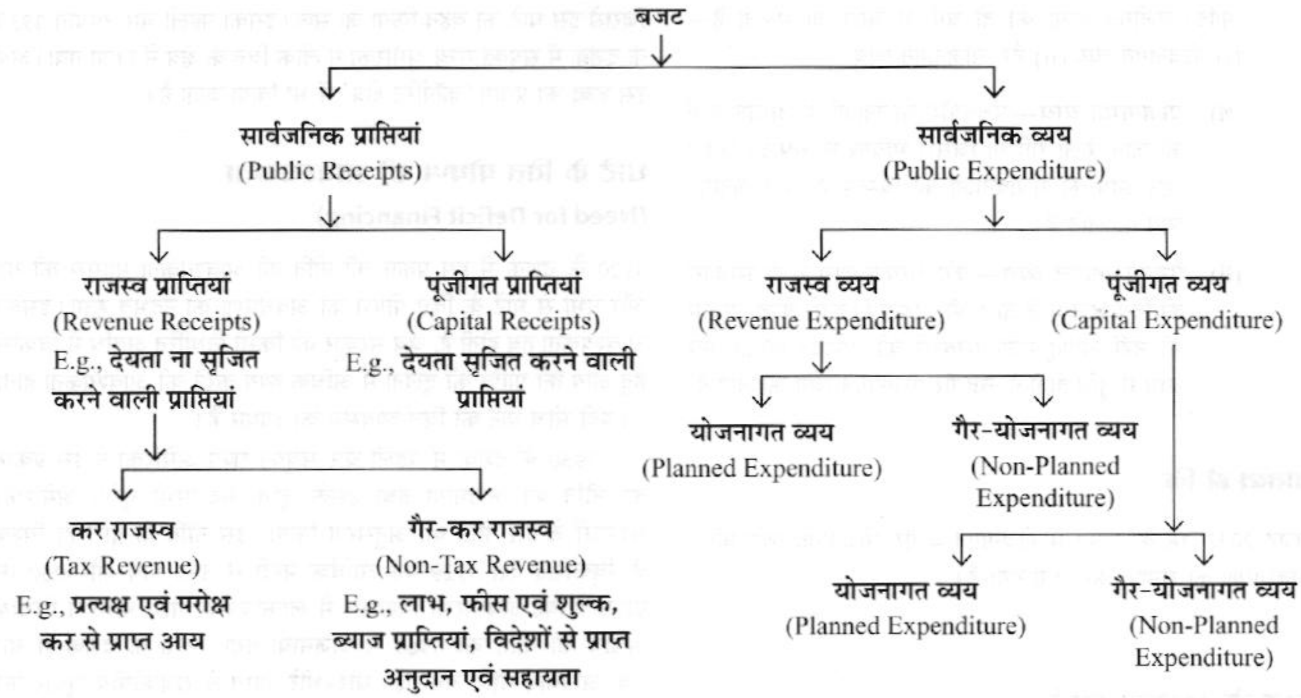

जैसे—प्रत्यक्ष कर (आयकर, निगम कर) अप्रत्यक्ष कर (सेवा कर, उत्पाद शुल्क)

(ii) **गैर कर राजस्व**—कर को छोड़कर अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय **गैर-कर राजस्व** कहलाता है। जैसे—सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त लाभांश, सरकार द्वारा वितरित किये गये ऋणों से प्राप्त ब्याज, फीस तथा जुर्माना से प्राप्त आय, विदेशों से प्राप्त अनुदान या सहायता।

2. **पूंजीगत प्राप्तियां**—पूंजीगत प्राप्तियों के अन्तर्गत ऐसी प्राप्तियों को शामिल किया जाता है जिन्हें लौटाने का दायित्व सरकार का होता है जैसे-आन्तरिक एवं बाह्य ऋण एवं जो ऋण तो नहीं पर देयता अवश्य सृजित करती है जैसे—पेंशन फण्ड, सरकारी प्रतिभूतियां, प्रोविडेंट फंड। साथ ही ऐसी प्राप्तियां भी पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं जो सरकार पर किसी भी प्रकार के दायित्व का सृजन नहीं करती जैसे—विनिवेश, ऋणों की पुनर्वापसी (मूलधन)

सार्वजनिक व्यय—किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा किये जाने वाले कुल व्यय, **सार्वजनिक व्यय** कहलाते हैं। सरकार के सार्वजनिक व्ययों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है—1. राजस्व व्यय, 2. पूंजीगत व्यय

1. **राजस्व व्यय**—राजस्व व्यय वे व्यय है जो सरकारी विभागों तथा सेवाओं को सामान्य रूप से चलाने, विगत वर्षों में लिये गये ऋणों पर ब्याज अदायगी तथा राज्य सरकारों को दिये जाने वाले अनुदान से सम्बन्धित व्यय होते है। अर्थात ये ऐसे व्यय हैं जिनके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में सम्पत्ति या पूंजी का सृजन नहीं होता। परन्तु वे अनिवार्य रूप से व्यय किये जाते है राजस्व व्ययों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है—(i) योजनागत व्यय (ii) गैर-योजनागत व्यय

ध्यातव्य हो कि

1 जुलाई 2017 से GST अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर लागू किया गया है।

(i) **योजनागत व्यय**—यह केन्द्रीय योजना को पूरा करने के लिये दी गयी बजेटरी सहायता को व्यक्त करता है। इसमें राज्य तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों को उनकी योजनाओं के लिये दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता सम्मिलित है। अर्थात् पंचवर्षीय योजनाओं के तहत आवंटित धनराशि योजनागत व्यय कहलाता है।

(ii) **गैर-योजनागत व्यय**—ब्याज अदायगी, सब्सिडी, वेतन, सुरक्षा, पेंशन आदि गैर योजनागत व्यय कहलाता है।

2. **पूंजीगत व्यय**—ऐसे व्यय जो पूंजी निर्माण करे, पूंजीगत व्यय कहलाते हैं, जैसे रेल, पुल, उद्योगों की स्थापना, सड़क निर्माण

आदि। पूंजीगत व्ययों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है— (i) योजनागत व्यय (ii) गैर-योजनागत व्यय

(i) योजनागत व्यय—पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन खर्च की जाने वाली राशियां जिससे भविष्य में उत्पादन क्षमता और आय की संभावनाओं का विस्तार है, वे योजनागत व्यय कहलाते हैं।

(ii) गैर योजनागत व्यय—केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिये जाने वाले ऋण और देयतायें। इनसे केन्द्र सरकार की नहीं अपितु राज्य सरकारों की उत्पादन क्षमता और आय में वृद्धि होती है, वह गैर योजनागत व्यय कहलाते हैं।

ध्यातव्य हो कि

बजट 2017-18 के बजट में योजनागत व गैर-योजनागत व्यय की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है।

बजट के प्रमुख घाटे (Important Budget Deficit)

भारत के बजट में निम्नलिखित घाटे देखने को मिलते हैं—

- **राजस्व घाटा (Revenue Deficit)**—राजस्व प्राप्तियाँ ↓ - राजस्व व्यय ↑= राजस्व घाटा (Revenue Receipts ↓ – Revenue Expenditure ↑ = Revenue Deficit)
- **राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)**—राजस्व घाटा + ब्याज भुगतान = राजकोषीय घाटा (Revenue Deficit + Interest payment = Fiscal Deficit)
- **प्राथमिक घाटा (Primary Deficit)**—राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान = प्राथमिक घाटा (Fiscal Deficit – Interest Payment = Primary Deficit)
- **जुड़वा घाटा (Twin Deficit)**—राजकोषीय घाटा + चालू खाता घाटा = जुड़वा घाटा (Fiscal Deficit + Current A/c Deficit = Twin Deficit)

भारत के बजट में घाटे की स्थिति बनी रहती है, अब यह जानना आवश्यक है कि सरकार राजस्व प्राप्तियां कम प्राप्त करती है तो फिर अपने व्यय का प्रबन्ध किन स्रोतों से करती है।

घाटे का वित्त पोषण (Deficit Financing)

यह सरकार द्वारा बजट घाटे के लिए की गई वित्त प्रबन्ध की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में सरकार को यह पूर्व से ही मालूम होता है कि उसका कुल व्यय कुल प्राप्ति से अधिक होगा तथा वह ऐसी नीतियों का निर्धारण करती है, जिससे इस घाटे को वहन किया जा सके। इसका पहली बार उपयोग 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका मे लोक वित्त के क्षेत्र में किया गया। अब इस शब्द का प्रयोग 'कॉर्पोरेट क्षेत्र' में भी किया जाता है।

घाटे के वित्त पोषण की आवश्यकता (Need for Deficit Financing)

1920 के दशक में इस प्रकार की नीति की आवश्यकता महसूस की गई और तभी से घाटे के वित्त पोषण की अवधारणा का उद्भव हुआ। इसकी आवश्यकता तब होती है, जब सरकार को किसी निर्धारित अवधि मे विकास हेतु आय की प्राप्ति की तुलना में अधिक व्यय करने की आवश्यकता होती है। यही सोच घाटे की वित्त व्यवस्था का आधार है।

1930 के दशक में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस प्रकार की नीति को अज़माया तथा उसके तुरंत बाद सभी यूरोप-अमेरिकी सरकारों ने इस नीति का अनुसरण किया। इस नीति के द्वारा ही विश्व के विकसित देश 1929 की आर्थिक मन्दी से उभर पाये और1960 के दशक मे यह अवधारणा विश्वभर मे लोकप्रिय हो गई। भारत ने वित्तीय अभाव की नीति को 1969 में अजमाया तथा 1970 के दशक मे यह एक अनिवार्य नीति बन गई। धीरे-धीरे भारत ने राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया को अपनाया, जिसे वित्तीय समेकन (Fiscal Consolidation) की प्रक्रिया कहा जाने लगा।

घाटे के वित्त पोषण के साधन (Sources of Deficit Financing)

जब वित्तीय अभाव की नीति लोक वित्त के क्षेत्र मे विश्व भर में एक स्थापित प्रक्रिया बन गई तब समय के साथ-साथ इसके साधन भी विकसित होने लगे। ये साधन निम्नलिखित हैं—

- **विदेशी सहायता**—यह सबसे उचित साधन है जिसके द्वारा सरकारी घाटे की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है यदि यह निम्न ब्याज के साथ आता हो तो भी। यदि यह सहायता बगैर ब्याज के आता हो तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता।
- **विदेशी अनुदान**— यह विदेशी सहायता से बेहतर साधन है क्योंकि न तो इस पर किसी किस्म का ब्याज होता है तथा न ही इसकी अदायगी जरूरी है, यह नि:शुल्क होता है। इस तरह का अनुदान भारत को पोखरण परमाणु परीक्षण (सन् 1975) के बाद मिलना बंद हो गया। कई बार भारत ने इस तरह के अनुदान को नहीं स्वीकार है, जैसे— सुनामी के उपरान्त भारत को दिया गया अनुदान (क्योंकि इनमें शर्तें छुपी होती है)।
- **विदेशी ऋण**—विदेशी ऋण वित्तीय घाटे को संभालने का दूसरा सबसे बेहतर तरीका है, बशर्ते कि वे तुलनात्मक रूप से सस्ते तथा लम्बी अवधि के हों। यद्यपि विदेशी ऋण को देश के संप्रभु निर्णय लेने की प्रक्रिया पर हस्तक्षेप माना जाता है लेकिन इसके अपने फायदे हैं तथा यह आंतरिक ऋण से दो कारणों से बेहतर माना जाता है—

1. विदेशी ऋण विदेशी मुद्रा के रूप में आता है जिससे सरकारी खर्च को अतिरिक्त फायदा होता है, सरकार चाहे तो इस ऋण का उपयोग देश के अन्दर अथवा आयात पर टिकी विकास की आवश्यकताओं के लिए कर सकती है।
2. यह 'क्राउडिंग आॅउट' प्रभाव को भी नियंत्रित करता है। क्योंकि इस स्थिति में सरकार देश के बैंको से ऋण नहीं लेती और निजी निवेशक के लिए ऋण का प्रबंध हो जाता है।

- **आंतरिक ऋण**—आंतरिक ऋण वित्तीय घाटे को कम करने का तीसरा सबसे बेहतर तरीका है लेकिन यदि इस किस्म का ऋण अत्यधिक लिया गया तो जनता तथा निजी क्षेत्र के निवेश संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था पर दोहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है—निम्न निवेश (जिसके कारण निम्न उत्पादन, निम्न सकल घरेलू उत्पाद तथा निम्न प्रति व्यक्ति आय, इत्यादि) व निम्न मांग (आम जनता तथा निजी क्षेत्र द्वारा)—अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ जाती है, जैसा कि 1960, 1970 तथा 1980 के दशकों में देखा गया।
- **मुद्रा छापकर**—यह वित्तीय घाटे को कम करने का अंतिम हथियार है। लेकिन इस साधन की विकलांगता यह है कि सरकार इसके द्वारा वह व्यय नहीं कर सकती है जिसे विदेशी मुद्रा मे किया जाना है। मुद्रा छापने के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले अन्य प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित हैं—
    1. यह आनुपातिक रूप में मुद्रास्फीति में वृद्धि करता है।
    2. यह सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन करने के लिए सरकार को बाध्य करता है जिसके कारण सरकारी खर्च का भार अधिक हो जाता है।

सरकार इन सभी साधनों में से किसी भी साधन का चयन कर अपने वित्तीय घाटे को कम कर सकती है। सामान्यत: सरकारें वित्तीय प्रबन्धन के लिए इन सभी साधनों के संयोजन का प्रयोग करती हैं।

राजकोषीय प्रबंधन (Fiscal Management)

पिछले दो दशक के दौरान राजकोषीय घाटे के सन्दर्भ में आर्थिक उदारीकरण के परिणाम मिश्रित रहे। इसी के मद्देनजर 2003 में **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन अधिनियम** (FRBM Act) पारित किया गया जो 2004 से लागू हुआ। इसके तहत 2008-09 तक राजकोषीय घाटे को 3% और राजस्व घाटे को 0% के स्तर पर लाया जाना था।

राजकोषीय घाटे में वृद्धि का कारण—2008-09 के बजट में राजकोषीय घाटा 2.5% रहने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन वित्तीय वर्ष के अन्त तक आते-आते उस वर्ष यह घाटा 2.5 गुना वृद्धि के साथ 6.7% के स्तर पर पहुँच गया। इस वृद्धि को निम्न परिपेक्ष्य में देखा जा सकता है—

1. वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण न केवल औद्योगिक संवृद्धि दर के साथ-साथ आर्थिक संवृद्धि दर में गिरावट आयी वरन् इसके परिणामस्वरूप सरकार को प्राप्त होने वाले अनुमानित राजस्व में भी गिरावट आयी। राजस्व के संदर्भ में उत्पाद एवं सीमा शुल्क दोनों में गिरावट आई।
2. मंदी की चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान तीन-तीन राजकोषीय राहत एवं प्रोत्साहन पैकेज दिये जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व पर लगभग GDP के 3.5% तक का दबाव बना। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि सरकार के द्वारा मंदी से निपटने के मद्देनजर सार्वजनिक व्यय की मात्रा में वृद्धि के जरिए घरेलू मांगों में होने वाली कमी की क्षतिपूर्ति का प्रयास किया गया।
3. छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का दो चरणों में लागू करने की घोषणा की गई। साथ ही, किसानों को दी जाने वाली आम ऋण-माफी के कारण सरकारी राजकोष पर लगभग 70,000 करोड़ से अधिक का दबाव पड़ा। इन दोनों के परिणामस्वरूप GDP का 0.95% अतिरिक्त व्यय रहा।
4. पिछले कुछ समय से सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य में तीव्र वृद्धि का रूझान दिखता है और खाद्यान्न मुद्रास्फीति के लगातार उच्च स्तर पर बने रहने के कारण सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की मात्रा ने भी घाटे को बढ़ा दिया।

क्या FRBM अधिनियम विफल हो गया?

2004 से लागू FRBM अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के मुताबिक 2008-09 तक राजकोषीय घाटे को 3% और राजस्व घाटे को 0% के स्तर पर लाया जाना था। 2008-09 वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऐसा लग रहा था कि भले ही राजस्व घाटे के संदर्भ में FRBM के लक्ष्यों की प्राप्ति न हो सके, लेकिन राजकोषीय घाटे के सन्दर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति FRBM द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से बेहतर है। जब 2008-09 का राजकोषीय परिणाम आया, तो यह अनुमान गलत साबित हुआ। लेकिन इसके आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि FRBM अधिनियम विफल रहा। कारण यह कि इसका उद्देश्य राजकोषीय अनुशासन को बहाल करना था और निश्चित तौर पर इसमें उसे सफलता हासिल हुई। हाँ, यह जरूर है कि इसमें कुछ कमियां रहीं जिसे अगर ध्यान में रखा जाता, तो शायद स्थिति बेहतर होती। जैसे ऐसे किसी भी अधिनियम को अन्तिम रूप दिए जाने से पूर्व इसमें आकस्मिक प्रावधान किया जाना अपेक्षित है और इन आकस्मिक प्रावधानों के मद्देनजर FRBM अधिनियम के लक्ष्यों में लोचशीलता बनाए रखा जाना चाहिए। अगर इस बात को ध्यान में रखा जाता, तो वैश्विक आर्थिक मंदी ने जिस तरह FRBM अधिनियम को अप्रासंगिक बना दिया, वैसा संभव नहीं होता। बात यह है कि जिस समय FRBM को अधिनियम तैयार किया जा रहा था, उस समय सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को अधिनियम के लक्ष्य काल में ही लागू किया जाना है। इसलिए इसमें इतनी लोचशीलता अपेक्षित थी कि राजकोषीय स्थिति पर इसके पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को भी समायोजित किया जा सके। इसीलिए FRBM अधिनियम को पूरी तरह

से विफल ठहराना उचित नहीं है। सच तो यह है कि इससे केन्द्र के सन्दर्भ में ही नहीं वरन् राज्यों के सन्दर्भ में भी राजकोषीय अनुशासन की बहाली में सहायता मिली। जिन कारकों से यह अधिनियम आज विफल प्रतीत होत है, वे कारण अपरिहार्य हैं और अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य की दृष्टि से राजकोषीय लक्ष्यों की प्राप्ति की तुलना में मंदी से अर्थव्यवस्था को उबारना कहीं अधिक आवश्यक था।

प्रमुख कोष (Major Funds)

केंद्रीय तथा राज्य सरकार दोनों के खाते तीन भागों मे विभाजित किये जाते है जो निम्नलिखित प्रकार के होते है—

तालिका 10.1: केंद्रीय तथा राज्य सरकार के खाते

प्रमुख कोष	अनुच्छेद से संबंध	कार्य प्रणाली
1. संचित कोष	अनुच्छेद 266(i) से संबंधित	• सरकार को प्राप्त सभी प्रकार की आय यथा-कर आय, गैर कर आय, ऋण प्राप्तियां आदि इसमे शामिल की जाती है। इसी प्रकार समस्त व्यय भी इसी खाते से किये जाते हैं। • इस कोष की कोई भी राशि संसद के अनुमति के बिना व्यय नहीं की जा सकती। *नोट*—राज्य सरकारों के लिए राज्य संचित कोष होता है जिनके व्यय की अनुमति राज्य विधान सभा देती है।
2. आकस्मिक कोष	अनुच्छेद 267 से संबंधित	• इस कोष से सरकार के ऐसे व्ययों को पूरा किया जाता है जिनमे विलम्ब नही किया जा सकता अर्थात् जो अनिवार्य हो। • इस कोष से व्यय करने के लिए लोकसभा/राज्य विधानसभा की पूर्व अनुमति नही लेनी पड़ती है परन्तु प्रत्येक व्यय के बाद में संसद सत्र प्रारम्भ होने के बाद उसे स्वीकृत कराना अनिवार्य होता है। • इस कोष का कोई भी अंश व्यय हो जाने के बाद सदन की अनुमति से संचित निधि से उसकी भरपायी करा दी जाती है।
3. लोक खाता ट्रस्ट	अनुच्छेद 266(2) से संबंधित	• सरकार को करों से प्राप्त आय के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी धनराशि प्राप्त होती है जिसकी वह मालिक नहीं होती, केवल ट्रस्टी होती है और जिसे सरकार को एक निश्चित समयावधि के बाद नियमानुसार ब्याज के साथ लौटाना होता है। • इस खाते मे-लघु बचतों, जमाओ, भविष्य निधियों के रूप में सरकार को प्राप्त होने वाली आय को शामिल किया जाता है। • इस खाते में से किसी भी प्रकार का भुगतान करने के लिए सरकार को लोकसभा/राज्य विधान सभा से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती।

अध्याय सार संग्रह

- सर्वप्रथम 1803 में फ्रांस में 'बजट' शब्द का प्रयोग किया गया था।
- भारत में बजट की प्रक्रिया आजादी के पहले से ही चलन में थी, भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कं. से 'ब्रिटिश राजशाही' को सौंपने के दो वर्ष बाद, पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को प्रस्तुत हुआ तथा जेम्स विल्सन बजट पेश करने वाले पहले वित्त सदस्य थे।
- स्वतंत्र भारत का पहला केन्द्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्तमंत्री आर. के. षणमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह बजट 15 अगस्त, 1947 से 31 मार्च 1948 तक की साढे सात माह की अवधि के लिये था।
- गणतंत्र भारत का पहला केन्द्रीय बजट 1950 में जान मथाई द्वारा पेश किया गया।
- सी. डी. देशमुख ने वर्ष 1955-56 का बजट पेश करते हुए पहली बार बजट की प्रतियों को हिंदी भाषा में छपवाया अर्थात इससे पहले बजट के सभी दस्तावेज अंग्रेज़ी भाषा में ही छपते थे।

- देश के 4 प्रधानमंत्री ऐसे भी हैं जिन्होंने वित्तमंत्री पद पर भी काम किया है। उनके नाम इस प्रकार हैं— **मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वी. पी. सिंह** और **मनमोहन सिंह**।
- अंग्रेज़ों ने भारत का बजट पेश करने का समय शाम 5 बजे का रखा, जिसे वर्ष 1999 में रजग सरकार (एनडीए सरकार) के वित्तमंत्री 'यशवंत सिन्हा' ने बजट पेश करने का समय दिन के 11 बजे किया।
- भारत में पहली बार रेल बजट का प्रसारण टेलिविजन में 24 मार्च, 1994 में और 24 मार्च, 1994 में **आम बजट** प्रसारित किया गया।
- बजट को संसद के सम्मुख प्रस्तुत करने से पहले बजट प्रस्तावों की जानकारी केवल वित्त मंत्री को होती है तथा संसद में प्रस्तुत करने के बाद यह समान्य चर्चा का विषय बनता है।
- भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि जिसके लिए बजट बनाया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की होती है। इस समय अवधि को वर्ष 1967 में अपनाया गया। इससे पूर्व देश में यह अवधि 1 मई से 30 अप्रैल तक मानी जाती थी।
- भारत की तरह जापान, इराक, यू.के., आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, डेनमार्क और कनाडा आदि देशों का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है।
- पाकिस्तान, नार्वे, स्वीडन, इटली आदि देशों का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून का होता है।
- म्यांमार, यूएसए, श्रीलंका आदि देशों का वित्तीय वर्ष 1 अक्टूबर से 30 सितंबर का होता है।
- फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, रूस, अर्जेन्टीना, ब्राज़ील, चीन आदि देशों का वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर का होता है।
- जिस प्रकार संविधान का अनुच्छेद 112 देश के वित्तीय बजट से संबंधित है उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 202 राज्य सरकारों के बजट के संबंध में व्यवस्था से संबंधित है।
- इंदिरा गांधी (1970-71) देश की एकमात्र महिला वित्त मंत्री हैं।
- 2005-06 के बजट में पहली बार मनरेगा, NRHM एवं जेंडर बजटिंग की घोषणा की गयी।
- आर. वेंकटरमन एवं प्रणब मुखर्जी ऐसे वित्त मंत्री रहे हैं जो बाद में राष्ट्रपति बने।
- संसद में बजट प्रस्तुत करने के बाद 75 दिनों की अवधि के भीतर इसे संसद द्वारा पारित होना अनिवार्य है।
- भारत में सर्वाधिक 10 बार मोरारजी देसाई ने बजट प्रस्तुत किया है। इसके बाद पी. चिंदबरम का स्थान है, उन्होंने 17 फरवरी, 2014 को नौंवी बार बजट प्रस्तुत किया।
- संविधान के अनुच्छेद 112 के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
- पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही **शून्य आधारित बजट** की परंपरा भारत में वर्ष 1987-88 से प्रारंभ की। शून्य आधारित बजट की अवधारणा पीटर ए. पायर ने दी थी।
- चुनावी वर्ष में बजट दो बार पेश किया जा सकता है। अंतरिम बजट कुछ महीनों के लिए अनुदान प्राप्त करता है और बाद में पूर्ण बजट पेश होता है।
- 1921 में गठित विलियम अफवर्थ कमिटि की **सिफारिशों के आधार पर 1925 में पहली बार रेल बजट** को आम बजट से पृथक किया गया।
- केन्द्र सरकार का मुख्य बजट **'वार्षिक वित्तीय विवरण'** नामक शीर्षक से प्रस्तुत किया जाता है।
- भारत की परिसंघीय व्यवस्था के तहत केन्द्र सरकार एक बजट बनाती है और इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य सरकार अपने-अपने अलग बजट बनाते हैं।
- संघीय स्तर पर दो बजट प्रस्तुत किए जाते हैं—(i) सामान्य बजट (ii) रेल बजट।
- भारत में बजट निर्माण का उत्तरदायित्व वित्त मंत्रलय को सौंपा गया है।
- घाटे की वित्त व्यवस्था वह वित्त व्यवस्था होती है जिसमें सरकारी व्यय, आय से अधिक होते हैं तथा शेष घाटे को सामान्यतः अतिरिक्त मुद्रा छापकर पूरा किया जाता है।
- बजट, 2017-18 में रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया है।